छत्तीसगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज सोसाइटी
Chhattisgarh Livelihood College Society

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, दन्तेवाड़ा

जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Email- livelihoodcollege@gmail.com, Mobile – 7225836876

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक/5035/जि0परि0ला0कॉ0/निविदा/2017-18 दंतेवाड़ा, दिनांक 05/12/2017

अधिकृत डीलर/निर्माताओं से जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दंतेवाड़ा हेतु बैटरी चलित तीन पहिया वाहन (ई-रिक्शा/ऑटो) क्रय कार्य हेतु मुहरबंद निविदा फार्म पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 21/12/2017 अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा निविदा दिनांक 21/12/2017 अपरान्ह 4:00 बजे खोली जाएगी।

सामग्री का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रं.	कार्य का नाम	स्पेशिफिकेशन
1	2	3
1	जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दंतेवाड़ा हेतु बैटरी चलित तीन पहिया वाहन (ई-रिक्शा/ऑटो) क्रय कार्य	Three wheeler vehicle, Dash board with battery indicator and speedometer, Steel body Lithium ion battery-minimum 78 ah Motor Power – minimum 850 watt

निविदा हेतु शर्तें निम्नानुसार हैः-

1. निविदा की सामान्य शर्तें विस्तृत निविदा विज्ञप्ति यथा संशोधित व अन्य जानकारी शासकीय वेबसाईट www.dantewada.gov.in से अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल में दिनांक 06/12/2017 के पश्चात् देखी जा सकती है।
2. सामग्री कार्य स्थल तक पहुंचाकर देना होगा। परिवहन व्यय हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. निविदा प्रपत्र दिनांक 06/12/2017 से वेबसाईट www.dantewada.gov.in से डाउनलोड एवं कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से निर्धारित तिथि तक प्राप्त किया ज़ा सकता है। निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य 750/-रू. (अक्षरी- सात सौ पचास रू. मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में नोडल अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज दन्तेवाड़ा के नाम से प्रदाय करना अनिवार्य है।
4. अग्रिम भुगतान की शर्त को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। निविदादाता को बंद लिफाफा (अ, ब एवं स) में निविदा प्रस्तुत करना होगा।
5. लिफाफ "अ" में शासन के वाणिज्यिकर विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र सामग्रियों के निर्माताओं/अधिकृत विक्रताओं का प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक कर कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण, पेन कार्ड की छायाप्रति एवं अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. लिफाफा "ब" में दर सूची प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" और "ब" को बंदकर लिफाफा "स" में प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" पहले खोला जाएगा, जिसमें निविदा की शर्तों का पूर्ण करने एवं वैध पाये जाने पर ही लिफाफा "ब" खोला जाएगा।
7. यातायात नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र संबंधित कार्यवाही चयनित संस्था/फर्म्स द्वारा किया जाना होगा।

8. सभी कर सम्मिलित कर के निविदा दर प्रति इकाई प्रस्तुत करना होगा, जिसमें समस्त दर एवं अन्य शुल्क (आर0टी0ओ0, बीमा, आवागमन) सम्मिलित होंगे। निविदा में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा

9. उपरोक्तानुसार दर प्रस्तुत नहीं करने पर निविदाकार अपात्र माना जावेगा।

10. एक निविदाकार का एक ही निविदा स्वीकार किया जाएगा। अलग-अलग मापदण्ड के प्रस्ताव के लिये अलग-अलग वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना होगा एवं आवश्यकतानुसार अलग-अलग मापदण्ड के प्रस्ताव भी समिति द्वारा स्वीकृत दिये जा सकते है।

11. तकनीकी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया जाना होगा तकनीकी प्रस्ताव में उत्तीर्ण निविदाकार का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जावेगा।

12. निविदादाता को अमानत राशि के रूप में राशि 3,75,000.00रू. (अक्षरी- तीन लाख पचहत्तर हजार रू. मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंको से जारी एफ.डी.आर. जो कि नोडल अधिकारी, लाईवलीहुड कॉलेज दन्तेवाड़ा के पक्ष में जारी हुआ हो, को लिफाफा "अ" के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13. डाक प्राप्ति में किसी प्रकार के विलंब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

14. निविदा मुहर बंद लिफाफे में दिनांक 21./.12/2017 अपरान्ह 03:00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। दिनांक 21/.12/2017 अपरान्ह 04:00 बजे निविदा लिफाफे निविदा हेतु गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें निविदादाता स्वंय/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

15. निविदादाता द्वारा प्रदाय की जाने वाली तीन पहिया ई-रिक्शा ARAI (Automotive Research Association of India) से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

16. आवश्यकता अनुसार ऑटो के मापदण्ड में परिवर्तन करने का अधिकार क्रय समिति को होगा।

17. सप्लाई किये जाने वाले ऑटो मॉडल पूर्ण रूप से प्रिफेब्रिकेटेड होना चाहिए।

18. निविदिदाता अगर अमानत राशि की छूट हेतु अधिकृत हैं वे प्रमाण-पत्र तथा शासन के अभिप्रमाण लिफाफा "अ" में प्रस्तुत करें।

19. दरें स्वीकृत होने पर तथा आदेश के मान से निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री की पूर्ति नहीं होने पर अमानत राशि नियमानुसार कटौती की जावेगी, तथा दिये गए आदेश की सामग्री मूल्य पर प्रतिशत पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जावेगा।

20. निविदा पर वाणिज्यिकर का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अर्थात् जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र लिफाफा 'अ' में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

21. निविदादाता के द्वारा पूर्व में संबंधित कार्य शासकीय योजनांतर्गत किया गया हो।

22. संबंधित सामग्रियों एवं कार्य संबंधी अनुभव रखने वाली संस्था को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। समर्थन में कार्यादेश की छायाप्रति लिफाफा 'अ' में संलग्न करना होगा।

23. बोलीदाता को संस्था के ब्लैक लिस्टेड न होने संबंधी नॉन कनविक्शन सर्टिफिकेट 50रू. के स्टॅाम्प पेपर में लिफाफा 'अ' में प्रदान करना होगा।

24. सभी प्रकार के टैक्स आदि का वहन निविदादाता द्वारा किया जावेगा। निविदादाता को आयकर एवं वाणिज्यकर का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

25. सामग्री प्रदाय आदेश जारी करने के 15 दिन के भीतर सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

26. सामग्री प्रदाय हेतु स्वीकृत की जाने वाली दरें निविदा स्वीकृत किए जाने के दिनांक से आगामी 06 माह के लिए वैधहोगा।

27. आपूर्ति होने पर सामग्री के कमी, क्षति या हानि के लिए प्रदायकर्ता से अनुपातिक राशि की कटौती की जा सकेगी।

28. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री से संबंधित कैटलॉग लिफाफा "अ" में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

29. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री से संबंधित विवरण (Specification) होना आवश्यक है। सामग्री स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होनी चाहिए।

30. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की संख्या/मात्रा निर्धारित करने का अधिकार इस कार्यालय को होगा। जिन बोलीदाताओं की निविदा अस्वीकार की जावेगी। उन्हें पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

31. निविदादाता फर्म द्वारा प्रदाय की गई सामग्रियों का भौतिक सत्यापन निविदा हेतु गठित समिति के द्वारा किया जावेगा। भौतिक सत्यापन में मिलान नहीं होने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी या निरस्त किया जावेगा।

32. निविदा प्रकिया के दौरान कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज दन्तेवाड़ा द्वारा ऐसी कोई भी शर्तें निर्धारित कर सकती है जो शासन हित में हो। यह शर्त समस्त निविदाकर्ता को मान्य एवं उनके लिए बंधनकारी होगा।

33. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज दन्तेवाड़ा का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
सोसायटी, दन्तेवाड़ा छ0ग0